प्रेस नोट

दिनांक 03.04.2025, थाना को0तरबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0तरबगंज क्षेत्रान्तर्गत हुई गैर-इरादतन हत्या का सफल अनावरण, 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल लोहे की पाइप बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-68/2025, धारा 105, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तगण- 01. अमन पाण्डेय, 02. दीपक पाण्डेय को महंगीपुरवा भगवानदीन यादव की बगिया से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर आलाकत्ल लोहे की पाइप बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री अनिल कुमार पुत्र रामहरक निवासी ग्राम रेतादल सिंह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली तरबगंज पर सूचना दिया गया कि वह अपने चचेरे भाई सत्यम उर्फ मुसऊ अपने गाँव के अन्य लोगो के साथ निमन्त्रण में कुर्मिनपुरवा गया था। निमन्त्रण से लौटते समय मोटरसाइकिल पर सवार पीछे बैठा अज्ञात व्यक्ति उसके चचेरे भाई के सिर पर डण्डे से प्रहार कर दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। जिसे दवा इलाज हेतु जिला चिकित्सालय ले गया जहाँ डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का पंचायतनाम व पोस्टमार्टम की कार्यवाही थाना कोतवाली नगर से कराया जा चुका है। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-68/2025, धारा 105, 351(2) बीएनएस बनाम बइस्तवाह संजय व मोटरसाइकिल सवार अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 03.04.2025 को थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान मैनुअल व तकनीकि साक्ष्य के आधार घटना के सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. अमन पाण्डेय, 02. दीपक पाण्डेय को महंगीपुरवा भगवानदीन यादव की बगिया से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही आलाकत्ल लोहे की पाइप बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण 01. अमन पाण्डेय, 02. दीपक पाण्डेय दोनो दोस्त है। तथा दिनांक 05.03.2025 की शाम को दोनो तरबगंज बाजार जाकर शराब पी उसके बाद अमन ने कबाड़ की दुकान से एक लोहे की पाइप ली और बोला की आज किसी को बेवजह मारना है। दीपक पाण्डेय ने शर्त लागाई कि मै बाइक चला रहा हूँ तुम मार कर दिखाओं। तभी रास्ते में पैदल जा रहे एक व्यक्ति(सत्यम उर्फ मुसऊ) के सिर पर अमन द्वारा लोहे की पाइप से तेज प्रहार कर दिया। जिससे उसको जमीन पर गिरता देखकर दोनो अभियुक्त मौके से मोटरसाइकिल से फरार हो गए तथा लोहे की पाइप को बलुहा झाड़ी में फेक कर घर चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अमन पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी रघुनाथपुर, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
02. दीपक पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय निवासी रघुनाथपुर, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. 01 अदद लोहे की पाइप(आलाकत्ल)

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-68/2025, धारा 105, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली तरबगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कामेश्वर राय
02. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी
03. हे0का0 शैलेन्द्र यादव
04. हे0का0 इमरान अली
05. का0 पंकज यादव
06. का0 प्रदीप मौर्या
07. का0 अंकित राय

मीडिया सेल, गोण्डा।